"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556 ]　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 27, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने हेतु "राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008" दिनांक 27 अगस्त, 2008 को जारी किया है, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. सरल क्रमांक 37 के अन्तर्गत शीर्षक "सेवा/पद की श्रेणी" के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक, शब्द और अंक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

" 38. सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग (द्वितीय)
39. सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग (द्वितीय)"

2. नियम 5 के खंड (ग) के उप-खंड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

" अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो.

परन्तु यह कि, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 17-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

Raipur, the 17th December 2013

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One. — The following further amendment is being carried out in Combined Competitive Examination called "State Service Examination Rules, 2008", issued on 27th August 2008, for recruitment to different services/posts, to be held by Chhattisgarh Public Service Commission, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After serial number 37 under the heading "Class of Service/Post", the following serial numbers, words and figures shall be added, namely :-

"38. Assistant Director, Urban Administration and Development Department II

39. Assistant Director, Social Welfare Department II"

2. For sub-clause (a) of clause (c) of Rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"A candidate must have attained a minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 30 years as on 1st January of the year of issuance of the advertisement.

Provided that for candidates domiciled/permanent residents of State of Chhattisgarh, the maximum age shall be extended to 35 years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. PISDA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.